





**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

राजाराग बनाम विजयाराग

किरम मुकदमा राजस्व ईजराय नं. 01 / सन् 2022

<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए</p>
<p>वकील डिक्रीदारान</p> <p>वकील डिक्रीदारान ने एक राजस्व ईजराय विरुद्ध मद्यूनान पेश किया है। राजस्व ईजराय दर्ज रजिस्टर किया जावे। राजस्व ईजराय का गहनता से अवलोकन किया गया। चूंकि डिक्री जारी हुए दो वर्ष से कम का समय हुआ है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर माफिक डिक्री पालना करने हेतु लिखा जावे। तहरीर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक <u>28/3/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)</p>	<p>01/10/11/22</p>
<p><u>2/22</u> वकील डिक्रीदारान उपर तहसीलदार जैतारण से पालना रिपोर्ट का इन्तजार केवल पत्रावली आयन्दा दिनांक <u>28/3/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p><u>3/22</u> पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. माहक दौरे पर, दिगर कार्य में व्यक्त कर्मियों द्वारा अपने कार्य के समय से पत्रावली आयन्दा दिनांक <u>28/3/2022</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p><u>5/22</u> वकील डिक्रीदारान उपर, तहसीलदार जैतारण के डिक्री की पालना के रिपोर्ट का रिपोर्ट पर पालना के लिए किन्तु, ला. कि. यी. म. के रिपोर्ट अन्तर्गत प्रथम पालना की हुई है। अब इन उपर के कोई कार्यवाही अन्तर्गत नहीं है। डिक्री की डिक्री के फलस्वरूप उपाय के तहत नये है। ला. कि. यी. म. के दारिद्र्य के तहत लेख अन्तर्गत है।</p> <p style="text-align: center;"></p>	